SAHYOG / UPHAR YOJANA (SHADI KANYADAN)

सहयोग योजना -

1.	पात्रता	सभी वर्गो के बी.पी.एल. परिवार की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की प्रथम दो कन्या के विवाह पर सहायता राशि दिये जाने का प्रावधान है। वर की आयु 21 वर्ष से कम नही होनी चाहिए। कन्या का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र एवं आयु का प्रमाण पत्र संलग्न किया जायें।
2.	आवेदन कहां किया जायें	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, पाली या पंचायत समिति सुमेरपुर को निर्धारित प्रपत्र मे आवेदन विवाह से एक माह पूर्व अथवा विवाह के बाद 6 माह तक किये जाने का प्रावधान है।
3.	देय लाभ	योजना अन्तर्गत 10000 रू की आर्थिक सहायता देय है। 10 वीं उत्तीर्ण कन्याओं को 15000 रू. तथा स्नातक उतीर्ण कन्याओं को 20000 रू. की राशि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय है।
4.	आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज	वधु/वर का आयु का प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, राशनकार्ड की छायाप्रति, बी.पी.एल. चयनित प्रमाण पत्र तथा विवाह/प्रस्तावित विवाह का प्रमाण/ विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न करने होंगे।